

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा0बीज0अनु0-110/2017

1282/कृ० पटना, दिनांक 27/2/2018

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मे० तिरूपति एग्री जेनेटिक्स प्रा० लि०,
प्र० श्री सुधीर कुमार चौधरी,
H/o शोभा गुप्ता, C/o उषा गुप्ता,
अगमकुआँ, पहाड़ी रोड, पटना

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए, कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 22/2018 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 26/02/2021 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 1282

/कृ०, पटना, दिनांक 27/2/2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उत्पादन/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि रसातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 22/2019 Date 22/02/2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मे० तिरुपति एग्री जेनेटिक्स प्रा० लि० is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business प्र० श्री सुधीर कुमार चौधरी, H/o शोभा गुप्ता, C/o उषा गुप्ता, अगमकुओं, पहाड़ी रोड, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मे० तिरुपति एग्री जेनेटिक्स प्रा० लि०, प्र० श्री सुधीर कुमार चौधरी, H/o शोभा गुप्ता, C/o उषा गुप्ता, अगमकुओं, पहाड़ी रोड, पटना	मे० तिरुपति एग्री जेनेटिक्स प्रा० लि०, प्र० श्री सुधीर कुमार चौधरी, H/o शोभा गुप्ता, C/o उषा गुप्ता, अगमकुओं, पहाड़ी रोड, पटना
पूरब - लोहा फेक्ट्री, रामदयाल सिंह	पूरब - लोहा फेक्ट्री, रामदयाल सिंह
पश्चिम - खाली जमीन	पश्चिम - खाली जमीन
दक्षिण - खाली जमीन	दक्षिण - खाली जमीन
उत्तर - अवधेश सिंह (पक्की रोड)	उत्तर - अवधेश सिंह (पक्की रोड)

Date :

Seal :

[Signature]
26.2.18
Licensing Authority
Director of Agriculture
Bihar, Patna.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 26/02/2021
Unless previously cancelled or suspended. *(26th February 2021)*
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place seperately).

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मे0 तिरूपति एग्री जेनेटिक्स प्रा0 लि0 द्वारा बिहार राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 1282

दिनांक: 27/07/2018

LIST OF SEEDS

क्र0	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	PADDY	KRANTI GOLD-555, A1 CHANDANI-333, A1 SURAJ-777, TOPPER-222, TEJASH-999, SURABHI (DELUX)-99, SUPER DAMINI-21, GURUNATH-25, A1 MUGDDHA-81, YODDHA-54, MUKABLA-23, SUGANDHA SAMBA
2	BAJRA	KRANTI GOLD-81, KEERTIMAN-84
3	MAIZE	MAHARAJA-9292, BADSHAH-9522, SARDAR-9881, NAYAK-5355, JALSA-9494, KUBER-8181
4	SUNFLOWER	PRITHVI-555
5	JOWAR	JIO-96
6	WHEAT	LAALI-99, ARJUN-71
7	MUSTARD	SHIKAR-77, SONPARI-45
8	HYBRID SSG	RED AMUL-21, WHITE AMRUTH-81
9	BHENDI	SAAJAN-111, SUHASINI-113, SUNITA-114
10	TOMATO	SONAM-6006, AMRUTH-6001
11	CHILLI	TEJAS-1004, INDUMATHI-6005
12	BRINJAL	KRANTI GOLD
13	BITTER GOURD	GAYATRI-9003
14	PEA	YUVRAJ-21
15	CORIENDER	GREEN STAR
16	SPONGE GOURD	SAARANG-8001, SUMAN-8002
17	BOTTLE GOURD	VARDHAN
18	CUCUMBER	DAMINI
19	WATERMELON	SAAJAN-921, MADHURI-922
20	ONIAN	LIGHT RED-11, LAL BADSHAH-51

- कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्व फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


 (हिमांशु कुमार राय)
 कृषि निदेशक, बिहार, पटना